न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–09 / 2024

प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–15.02.2024

निर्णय दिनांक–19.12.2025

सुनिता पुत्री रामदयाल पत्नि ओमप्रकाश स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. भू अभिलेख निरीक्षक, गहलोद, तह0 पीपलू
3. पटवार हल्का डोडवाडी, तह0 पीपलू

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थिया–श्री रामअवतार गुर्जर एड0
श्री बुद्धिप्रकाश बैरवा एड0

अप्रार्थीगण–पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 1352, 1353, 1354, 1355, 1373, 943 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6690 हैक्ट. व ख0न0 944, 957 कुल किता 02 कुल रकबा 1.3404 हैक्ट. व ख0न0 1356 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम डोडवाडी, पटवार हल्का डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम सुनिता की जगह संवहन से सुगना दर्ज हो गया है। जिससे प्रार्थीया को आये दिन उक्त आराजीयात के संबंध में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया को बैंक के.सी.सी. बनवाने, मुआवजा प्राप्त करने, अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त करने से प्रार्थिया वंचित है तथा आये दिन उक्त आराजीयात के संबंध में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम सुनिता पुत्री रामदयाल है। राजस्व रिकॉर्ड दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

त्रुटीपूर्ण नाम सुगना एक संहवनीय लिपीकिय त्रुटी है। जिसके स्थान पर सुनिता पुत्री रामदयाल दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया का नाम ग्राम डोडवाडी के खाता संख्या 220, 606, 608 जमाबंदी संवत् 2077 से स्थायी में सुगना पुत्री रामदयाल जाति बाबाजी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया का सुगना पुत्री रामदयाल का इन्द्राज विरासत के नामान्तकरण से हुआ है, जो की रामदयाल की विरासत के नामान्तकरण खुलने के समय से ही चला आ रहा है। प्रार्थिया द्वारा पेश दस्तावेज, पेन कार्ड, आधारकार्ड, जनआधार कार्ड में नाम सुनिता ही दर्ज है। गांव में जानकारी मुताबिक सुगना का सही नाम सुनीतां है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 1352, 1353, 1354, 1355, 1373, 943 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6690 हैक्ट. व ख0न0 944, 957 कुल किता 02 कुल रकबा 1.3404 हेक्ट. व ख0न0 1356 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम डोडवाडी, पटवार हल्का डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम सुनिता की जगह संवहन से सुगना दर्ज हो गया है। जिससे प्रार्थीया को आये दिन उक्त आराजीयात के संबंध में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया को बैंक के.सी.सी. बनवाने, मुआवजा प्राप्त करने, अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त करने से प्रार्थिया वंचित है तथा आये दिन उक्त आराजीयात के संबंध में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम सुनिता पुत्री रामदयाल है। राजस्व रिकॉर्ड दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम सुगना एक संहवनीय लिपीकिय त्रुटी है। जिसके स्थान पर सुनिता पुत्री रामदयाल दर्ज किया जाना उचित है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थीया का नाम ग्राम डोडवाड़ी के खाता संख्या 220, 606, 608 जमाबंदी संवत् 2077 से स्थायी में सुगना पुत्री रामदयाल जाति बाबाजी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया का सुगना पुत्री रामदयाल का इन्द्राज विरासत के नामान्तकरण से हुआ है, जो की रामदयाल की विरासत के नामान्तकरण खुलने के समय से ही चला आ रहा है। प्रार्थिया द्वारा पेश दस्तावेज, पेन कार्ड, आधारकार्ड, जनआधार कार्ड में नाम सुनिता ही दर्ज है। गांव में जानकारी मुताबिक सुगना का सही नाम सुनीता है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आयकर विभाग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थिया का शुद्ध नाम सुनिता पुत्री रामदयाल

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

धर्मपत्नि ओमप्रकाश है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 1352, 1353, 1354, 1355, 1373, 943 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6690 हैक्ट. व ख0न0 944, 957 कुल किता 02 कुल रकबा 1.3404 हैक्ट. व ख0न0 1356 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम डोडवाडी, पटवार हल्का डोडवाडी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुगना पुत्री रामदयाल दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के त्रुटीपूर्ण नाम सुगना पुत्री रामदयाल जाति बाबाजी के स्थान पर सुनिता पुत्री रामदयाल धर्मपत्नि ओमप्रकाश जाति बाबाजी हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner